JALAUN POLICE

दिनांक – 05.06.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कान्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 01 अभियोग में मान0 न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को 01 वर्ष का कारावास एवं 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण – थाना कदौरा क्षेत्रान्तर्गत अवैध मादक पदार्थों (2.165 कि0ग्रा0 गांजा) की तस्करी करते हुये पकड़े जाने पर अभियुक्त ज्ञान प्रकाश तिवारी पुत्र दुर्गा प्रसाद नि0 ग्राम बागी थाना कदौरा जनपद जालौन के विरुद्ध थाना कदौरा में मु0अ0सं0 188/18 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 05.06.2025 को मा0 न्यायालय एडीजे/एनडीपीएस/ईसी कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त ज्ञान प्रकाश तिवारी उपरोक्त को दोषी पाते हुये 01 वर्ष का कारावास एवं 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।